बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.) 495001 फोन : 07752—220031,220032,220033 फैक्स 07752—260294

वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / । २४२/ गोपनीय / 2017

दिनांक 25.08.2017

—ःअधिसूचनाःः—

एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25 वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में प्रस्ताव कमांक 3 पर अध्यादेश कमांक 6 Examination (General) में प्रस्तावित संशोधन को मान्य किया गया है, जो निम्नवत है —

अध्यादेश कमांक	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
अध्यादेश ६ भाग–5, कंडिका २६ (३)	If marks awarded in the paper by any of the two examiners are higher than the marks given by the original examiner by more than 10% of maximum marks in the paper, the average of the marks awarded by the two nearest examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of marks shall be awarded to the candidate for the revision of his/her result.	If marks awarded in the paper by any of the two examiners is higher/lower than the marks given by the original exaniner by 5% or more of maximum marks in the paper, the average of the two nearest marks awarded by examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of the marks shall be awarded to the candidate for the revision of his/her result. The above provision shall be relaxed for even less than 5% of maximum marks if the result status of the students in the concerned subject changes from fails to pass by considering the average of the two nearest marks awarded by the examiners.

पुनर्मूल्यांकन से संबंधित शेष प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 25.08.2017

पृ. क्रमांक / २48/ गोपनीय / 2017 प्रतिलिपि :—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर के सादर सूचनार्थ।

2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर के सादर सूचनार्थ।

3. माननीय कुलपति महोदय बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के साँदर सूचनार्थ।

4. आयुक्त, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के सादर सूचनार्थ।

5. परीक्षा नियंत्रक / वित्ताधिकारी, विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

6. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

7. सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / अकादमी) बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

विश्वविद्यालय वेबसाईट / सूचना पटल पर अपलोड करने हेतु।

9. कार्यालय प्रति।

ेकुलायव बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)